

कार्यालय आदेश सं०- 655/2021

सकाधि- 111/सोन के टिप्पणी सं० ECR/SEEO PERS/COF/1/2020 दिनांक 21.09.2021 के अनुसार चिकित्सीय आधार पर विकोटिकृत होने के फलस्वरूप वैकल्पिक पद पर समाहरण किये जाने के पश्चात् चिकित्सा विभाग में समायोजन पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये वैकल्पिक पद, वेतन एवं समान लेवल में पदस्थापित किये जाते हैं, जो की तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इनकी वरियता विकोटिकृत होने के फलस्वरूप नये वरियता इकाई में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम कार्यरत स्टेशन	पे लेवल/वेसिक पे	विकोटिकृत होने की तिथि एवं विकोटिकृत पश्चात् चिकित्सा श्रेणी	समाहरण के उपरान्त पद, एवं पदस्थापना स्थल	समाहरण के उपरान्त वर्तमान पद पर वेतन निर्धारण
01	श्री भीम कुमार महतो, वरिष्ठ माल गार्ड/बरौनी/परिचालन	पे लेवल - 06 ग्रेड पे - 4200 वेसिक पे- 36500 तिथि 01.01.2021	Date - 16.07.2021 Fit in Medical Category C-1 (Cee One) & below	कार्याधि (OS)/ उपमंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा	पे लेवल -06 ग्रेड पे -4200 वेतन 46200+1250 (PP) (DOJ)
02	श्री संजीत कुमार हेल्पर/यांत्रिक (समाडि) NRPA	पे लेवल - 01 ग्रेड पे 1800 वेसिक पे 22800	Date - 02.07.2021 A-2 (Aye Two) (Vision wise) Sri Sanjeet Kumar, Helper/Mech (C&W/- NRPA/SEE is Permanently unfit for his original job as Helper/Mech. However, he is fit for an alternate employment on medical ground for a job of sedentary nature with artificial limb where running, spuatting, climbing etc. is not involved, in medical category A-2 (Aye-two) (Vision wise) or below.	एच.ए. (H.A)/ मंडल चिकित्सालय सोनपुर	पे लेवल -01 ग्रेड पे -1800 वेतन 22800/- (DOJ)

दो नाम मात्र।

- यदि पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् सृजित विशेष अधिसंख्य पद के समाप्त होने के कारण संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा समायोजित किये गये नये पद एवं पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाता है, तो सारी जिम्मेवारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।
- 1. पदस्थाना आदेश जारी होने की तिथि से सृजित विशेष अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी द्वारा पदस्थापित किये गये पद पर योगदान नहीं दिया जाता है, तो उस अवधि को अनुपस्थित माना जाएगा और अनुपस्थित अवधि को उनके अवकाश खाते में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियमन किया जाएगा।
उपर्युक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)
सकाधि- 11

कृते मरेप्र कार्मिक/सोनपुर
दिनांक-28.09.2021

सं०-का/283/स्था०/विकल्प/चिकि०/सोन/2018

प्रतिलिपि-निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (01) मुचिधि/सोनपुर
- (02) अमुचिधि/गढ़हरा।
- (03) वमपचाप्र/सोनपुर
- (04) वमयाई/समाडि/सोनपुर।
- (05) वमविप्र/सोनपुर।
- (06) कोचिंग डिपो अधिकारी/मुजफ्फरपुर।
- (07) मु० समाडि अधिक्षक /एनआरपीए।
- (08) मुकार्याधि/एमपीपी, सोनपुर :-उनके उक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (09) मुकार्याधि/बिल/सोनपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर।
- (10) मुख्य कार्याधि/परिचालन संवर्ग।
- (11) मुकार्याधि/यांत्रिक (समाडि)।
- (12) स्टेधि/बरौनी।
- (13) प्रभारी/समाडि कंट्रोल/परिचालन कंट्रोल :-आप अपने स्तर से संबंधित पर्यवेक्षक को अविलम्ब विरमित करने हेतु सूचित करे।

(14) संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति, कार्यालय आदेशप्रति/संचिकाप्रति

(15) संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति मंडलमंत्री, ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो सोनपुर मंडल।

(नोट :- क्रमांक 07, एवं 12 आप कृप्या अपने अधिनस्त कर्मचारी को उचित पहचान पर कर्मचारी का फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान सत्यापित करते हुए संबंधित पदस्थापना स्थल पर विरमित कर संबंधित प्रवेक्षक के यहाँ कार्य रिपोर्ट हेतु भेजे।)

कृते मरेप्र कार्मिक/सोनपुर